पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

MASTER CIRCULAR

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2023/03/CRA-01 17 November 2023

To,

i. Central Recordkeeping Agency ('CRA')

ii. National Pension System Trust ('NPS Trust')

iii. Government Nodal Offices (i.e. CG, SGs, CABs & SABs)

iv. Point of Presence ('PoP')

Madam / Sir,

Choice of Selection of Central Recordkeeping Agency for the National Pension System or any other pension scheme regulated or administered by the Authority

1. This Master Circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14(1) read with Section 14(2)(e) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

2. This Master Circular rescinds the existing guidelines/instructions on the subject of "Choice of Selection of Central Recordkeeping Agency for the National Pension System or any other pension scheme regulated or administered by the Authority" and consolidates at one place. The list of underlying circulars rescinded in this Master Circular is furnished in the Appendix.

This Master Circular is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

ASHISH KUMAR Digitally signed by ASHISH KUMAR Date: 2023.11.17 16:55:50 +05'30'

(**Ashish Kumar**)

Chief General Manager

INDEX
PART I – Introduction
PART II – General Guidelines
PART III – Specific Guidelines/Instructions
PART IV – List of circulars consolidated in the Master Circular

PART I – Introduction

1. The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 ('Act/the Act') allows the appointment of more than one CRA for the National Pension System or any other pension scheme regulated or administered by the Authority. Accordingly, CRAs are being registered under the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, and amendment thereof. To ensure the transparent choice of selection of CRA, the Authority hereby provides a master circular.

PART II – General Guidelines

2. The compliance obligation of the intermediary/entity shall not be confined merely to the Master Circular but, also the applicable laws.

3. This Master Circular shall take effect from the date of its issuance but shall be without prejudice to their (*earlier issued circulars*) operation and effect, for the period when they were in force, until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, Part IV containing the list of circulars consolidated in the Master Circular shall stand rescinded with the issuance of this Master Circular, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity.

4. Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars now rescinded (*for the period of their operation*) shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

5. The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (*now rescinded*), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

PART III – Specific Guidelines/Instructions

6. **Choice of Selection of CRA under the National Pension System ('NPS') or NPS-Lite-Swavalamban Scheme:**

6.1. Subscribers under employee-employer relationship including Government Sector:

In case charges of CRA under NPS are being borne by the employer, the choice of selection of CRA shall rest with the employer, unless the employer specifically delegates the option to choose CRA to individual employees. In all other cases, the choice of selection of CRA shall rest with the employee.

Further, it is clarified that the organizations/corporates offering NPS to their employees under the aegis of 'employer-employee relationship' and are desirous of obtaining the services from a particular CRA, may open their NPS accounts through a PoP, which has integrated with that CRA. In case, they register themselves with PFRDA as PoPs, they may integrate with the CRA/s of their choice.

6.2. Choice of Selection of CRA by Point of Presence under the NPS and NPS-Lite:

PoP shall have the autonomy to choose its preferred CRA to provide services to its subscribers. PoPs are not mandated to offer the services of all CRAs to their subscribers; however, PoPs can opt to provide services of all CRAs. Notwithstanding the choice of selection of CRA/s by PoPs, PoP shall prominently display the charges of all CRA side by side on its official website / mobile application to enable subscribers to make well-informed decision.

6.3. Subscribers voluntarily enrolling in the NPS:

Subscribers voluntarily enrolling in the NPS, without the existence of any employee-employer relationship, shall choose their preferred CRA. Additionally, subscribers without the existence of any employee-employer relationship have the option to switch their chosen CRA twice during a financial year. However, a switch of CRA owing to a change in employment status shall not be accounted for. To ensure transparency, NPS Trust shall prominently display the charges of all CRAs side by side on its official website / mobile application, thereby facilitating informed decisions for subscribers.

Further, it is clarified that voluntary NPS subscribers desirous of obtaining the services from a particular CRA may open their NPS account through a PoP which is integrated with that CRA.

7. **Choice of Selection of CRA under the Atal Pension Yojana ('APY'):**

For APY subscribers, the choice of selection of CRA by PoP shall be contingent upon the choice of selection of CRA made by the Government of India (GoI) under the APY and its notification.

8. **CRAs registered with the Authority along with their charges**:

8.1 The following three CRAs have been registered by the Authority:

S. No.	**Name of CRA**	**Registration No.**	**Validity**
1	Computer Age Management Services Limited	CRA003	30 March 2021 – Perpetual
2	KFin Technologies Limited	CRA002	14 June 2016 – 13 June 2026
3	Protean eGov Technologies Limited	CRA001	25 January 2021 – Perpetual

8.2 Charges of CRAs are as under:

S. No.	**Name of CRA**	**Schemes**	**Service Charge head**		
			PRA opening charges	**PRA Annual maintenance charges**	**Transaction charges**
1	Computer Age Management Services Limited	NPS Regular (Rs.)	40	65	3.50
		NPS Lite/ APY (Rs.)	15	16.25	NIL
2	KFin Technologies Limited	NPS Regular (Rs.)	39.36	57.63	3.36

S. No.	Name of CRA	Schemes	Service Charge head		
			PRA opening charges	**PRA Annual maintenance charges**	**Transaction charges**
		NPS Lite/ APY (Rs.)	15	16.25	NIL
3	Protean eGov Technologies Limited	NPS Regular (Rs.)	40	69	3.75
		NPS Lite/ APY (Rs.)	15	20	NIL

PART IV - List of circulars consolidated in the Master Circular

Sl.	Circular No.	Date	Subject
1	PFRDA/2017/1/CRA/1	03 January 2017	Operationalisation of Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS Regular / NPS Lite / APY
2	PFRDA/2017/5/CRA/2	09 February 2017	Operationalisation of M/s Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS
3	PFRDA/2020/10/SUP-CRA/3	17 April 2020	Choice of CRA Selection by NPS subscribers
4	PFRDA/2020/30/SUP-CRA/13	16 July 2020	Choice for PoPs to integrate with CRAs for NPS
5	PFRDA/2021/12/SUP-CRA/9	26 April 2021	Appointment of Computer Age Management Service Ltd (CAMS) as Central Record Keeping Agency (CRA) under NPS
6	PFRDA/17/01/10/0005/2017-SUP-CRA-Part(4)	16 September 2021	Profile of Central Record keeping Agencies (CRA) & the benefits/features offered by them

मास्टर परिपत्र

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2023/03/CRA-01 17 नवम्बर 2023

प्रति,

i. केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ('सीआरए')
ii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ('एनपीएस ट्रस्ट')
iii. सरकारी नोडल कार्यालय (अर्थात सीजी, एसजी, सीएबी और एसएबी)
iv. उपस्थिति अस्तित्व ('पीओपी')

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के चयन का विकल्प

1. यह मास्टर परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 (2) (ङ) के साथ पठित धारा 14 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
2. यह मास्टर परिपत्र राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना के लिए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के चयन का विकल्प विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों / अनुदेशों को निरस्त करता है और उन्हें एक ही स्थान पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र द्वारा निरस्त किए गए अंतर्निहित परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

यह मास्टर परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ASHISH KUMAR
Digitally signed by ASHISH KUMAR
Date: 2023.11.17 16:57:09 +05'30'

(**आशीष कुमार**)
मुख्य महाप्रबंधक

सूची
भाग I – परिचय
भाग II – सामान्य दिशानिर्देश
भाग III – विशेष दिशानिर्देश / अनुदेश
भाग IV – मास्टर परिपत्र में सम्मिलित किए गए परिपत्रों की सूची

भाग I – परिचय

1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना के लिए एक से अधिक सीआरए की नियुक्ति की अनुमति देता है। तदनुसार, सीआरए को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 के प्रावधानों और उसके संशोधन के तहत पंजीकृत किया जाता रहा है। सीआरए के चयन के पारदर्शी विकल्प को सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा एक मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है।

भाग II – सामान्य दिशानिर्देश

2. मध्यस्थ / इकाई का अनुपालन दायित्व, मास्टर परिपत्र के साथ-साथ लागू कानूनों से भी संबद्ध होगा।

3. यह मास्टर परिपत्र इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा, किन्तु उसके (*पूर्व में जारी किए गए परिपत्रों*) के लागू होने की स्थिति में उनके संचालन और प्रभाव के प्रति पूर्वाग्रह से तब तक मुक्त होगा, जब तक कि उन्हें मास्टर परिपत्र के तहत शामिल नहीं कर लिया जाता हो। उपर्युक्त चेतावनी के आधार पर, मास्टर परिपत्र में सम्मिलित किए गए परिपत्रों की सूची वाले भाग IV में शामिल परिपत्रों को इस मास्टर परिपत्र के जारी होने के साथ निरस्त कर दिया जाएगा, ताकि वे मास्टर परिपत्र में सम्मिलित हो जाएं और सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सतत रूप से लागू रहें।

4. किसी परिपत्र के इस प्रकार निरसन के बावजूद, मास्टर परिपत्र में उनके विलय पर, या अन्यथा, अब निरस्त किए गए परिपत्रों (उनके *संचालन की अवधि के लिए*) के अंतर्गत की गई या उठाई गई या कथित रूप से की गई या उठाई गई या की जाने वाली या इसके बाद उठाई जाने वाली किसी भी कार्रवाई को वैध रूप से किया हुआ माना जाएगा जैसे कि उक्त परिपत्र पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी हों और वे किसी भी प्रकार उनके निरसन से अप्रभावित रहेंगे।

5. निरस्त किए गए परिपत्रों के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत रूप से किए गए या उठाए गए, किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या अधिग्रहित, अर्जित या व्यवस्थित देयता, कोई जुर्माना, कोई पारित आदेश, कोई उल्लंघन, कोई जांच, उस परिपत्र (*अब निरसित*) के संदर्भ में लंबित कानूनी कार्यवाही, किसी भी प्रकार उनके निरसन से प्रभावित नहीं होंगे और उन्हें इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वह परिपत्र पूरी तरह लागू और प्रभावी हो।

भाग III – विशेष दिशानिर्देश / अनुदेश

6. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ('एनपीएस') या एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन योजना के तहत सीआरए के चयन का विकल्प :**

6.1. सरकारी क्षेत्र सहित कर्मचारी-नियोक्ता संबंध के तहत अभिदाता :

यदि एनपीएस के तहत सीआरए के प्रभार नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हों, तो सीआरए के चयन का विकल्प नियोक्ता के पास होगा, जब तक कि नियोक्ता द्वारा विशेष रूप से व्यक्तिगत कर्मचारियों को सीआरए चुनने का विकल्प नहीं सौंपा जाता है। अन्य सभी मामलों में, सीआरए के चयन का विकल्प कर्मचारी के पास होगा।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'नियोक्ता-कर्मचारी संबंध' के तत्वावधान में अपने कर्मचारियों को एनपीएस की पेशकश करने वाले संगठन/कॉरपोरेट यदि किसी विशेष सीआरए से सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक हों, वे उस पीओपी के माध्यम से अपने एनपीएस खाते खोल सकते हैं, जो उस सीआरए के साथ एकीकृत हुआ हो। यदि वे पीएफआरडीए के साथ पीओपी के रूप में स्वयं को पंजीकृत करते हैं, तो वे अपने चुने हुए सीआरए के साथ एकीकरण कर सकते हैं।

6.2. एनपीएस और एनपीएस-लाइट के तहत उपस्थिति अस्तित्व द्वारा सीआरए के चयन का विकल्प :

पीओपी द्वारा अपने अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी पसंद के सीआरए का चयन करने की स्वायत्तता होगी। पीओपी द्वारा अपने अभिदाताओं हेतु सभी सीआरए की सेवाओं को पेश करना अनिवार्य नहीं हैं; हालांकि, पीओपी द्वारा सभी सीआरए की सेवाएं प्रदान करने का विकल्प चुना जा सकता है। पीओपी द्वारा सीआरए के चयन के विकल्प के बावजूद, पीओपी अपनी आधिकारिक वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन पर सभी सीआरए के शुल्कों को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे ताकि अभिदाता द्वारा अच्छी प्रकार से सूचित निर्णय लिया जा सके।

6.3. एनपीएस में स्वेच्छा से नामांकन करने वाले अभिदाता

एनपीएस में स्वेच्छा से नामांकन करने वाले अभिदाता, कर्मचारी-नियोक्ता संबंध के न होने पर, अपने पसंदीदा सीआरए का चयन करेंगे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी-नियोक्ता संबंध न होने पर, अभिदाताओं के पास एक वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार अपने चयनित सीआरए को बदलने का विकल्प होगा। हालांकि, इसमें रोजगार में परिवर्तन के कारण होने वाले सीआरए के बदलाव की गणना नहीं की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीएस न्यास अपनी आधिकारिक वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन पर सभी सीआरए के शुल्कों को

प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा, जिससे अभिदाताओं को सूचित निर्णय लेने में सुविधा होगी।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे स्वैच्छिक एनपीएस अभिदाता जो किसी विशेष सीआरए से सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक हों, वे उस पीओपी के माध्यम से अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं जो उस सीआरए के साथ एकीकृत है।

7. **अटल पेंशन योजना ('एपीवाई') के तहत सीआरए के चयन का विकल्प :**

एपीवाई अभिदाताओं के लिए, पीओपी द्वारा सीआरए के चयन का विकल्प, एपीवाई हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सीआरए के चयन के विकल्प एवं इसकी अधिसूचना पर निर्भर करेगा।

8. **प्राधिकरण के साथ पंजीकृत सीआरए एवं उनके शुल्क :**

8.1 प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तीन सीआरए पंजीकृत किए गए हैं :

क्र.सं.	सीआरए का नाम	पंजी. सं.	वैधता
1	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	CRA003	30 मार्च 2021 – सतत
2	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	CRA002	14 जून 2016 – 13 जून 2026
3	प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	CRA001	25 जनवरी 2021 – सतत

8.2 सीआरए के प्रभार निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	सीआरए का नाम	योजनाएं	सर्विस चार्ज हेड		
			पीआरए खोलने का शुल्क	पीआरए वार्षिक रखरखाव शुल्क	लेन-देन शुल्क
1	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	एनपीएस नियमित (रुपये)	40	65	3.50
		एनपीएस लाइट/एपीवाई (रुपये)	15	16.25	शून्य
2	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	एनपीएस नियमित (रुपये)	39.36	57.63	3.36

क्र.सं.	सीआरए का नाम	योजनाएं	सर्विस चार्ज हेड		
			पीआरए खोलने का शुल्क	पीआरए वार्षिक रखरखाव शुल्क	लेन-देन शुल्क
		एनपीएस लाइट/एपीवाई (रुपये)	15	16.25	शून्य
3	प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	एनपीएस नियमित (रुपये)	40	69	3.75
		एनपीएस लाइट/एपीवाई (रुपये)	15	20	शून्य

भाग IV - मास्टर परिपत्र में सम्मिलित किए गए परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	PFRDA/2017/1/CRA/1	03 जनवरी 2017	Operationalisation of Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS Regular / NPS Lite / APY
2	PFRDA/2017/5/CRA/2	09 फ़रवरी 2017	Operationalisation of M/s Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS
3	PFRDA/2020/10/SUP-CRA/3	17 अप्रैल 2020	Choice of CRA Selection by NPS subscribers
4	PFRDA/2020/30/SUP-CRA/13	16 जुलाई 2020	Choice for PoPs to integrate with CRAs for NPS
5	PFRDA/2021/12/SUP-CRA/9	26 अप्रैल 2021	Appointment of Computer Age Management Service Ltd (CAMS) as Central Record Keeping Agency (CRA) under NPS
6	PFRDA/17/01/10/0005/2017-SUP-CRA-Part(4)	16 सितंबर 2021	Profile of Central Record keeping Agencies (CRA) & the benefits/features offered by them